



मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०

203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ

फोन/फैक्स नं०-0522-2614721

वेबसाइट-www.upmdm.org

ई मेल-ikomdm@gmail.com

संख्या: म०भो०प्रा०/८-596/2022-23

ई मेल/वेबसाइट द्वारा भी।

दिनांक 07-06-2022

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
लखनऊ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
प्रयागराज।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
कानपुर।
4. समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
लखनऊ।

विषय:—समन्वयक/कम्प्यूटर ऑपरेटर मध्यान्ह भोजन योजना/PM Poshan के नियत वेतन/मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन योजना/PM Poshan भारत सरकार की गाइड लाइन तथा उ०प्र० शासन स्तर से निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित है। योजना के संचालन हेतु मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण का गठन सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत किया गया है तथा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति गठित है। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण की प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक दिनांक 15.02.2007 में लिये गये निर्णयानुसार प्रत्येक मण्डल/जनपद में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०)/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में 01 समन्वयक व 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर की संविदा के आधार पर तैनाती की व्यवस्था है, जिनके शैक्षिक योग्यता व वर्तमान नियत वेतन/मानदेय का विवरण निम्नवत् है:—


पद नाम	योग्यता	प्रतिमाह नियत वेतन/मानदेय
समन्वयक	1. प्रथम वरीयता—एम०बी०ए० उपाधिधारी 2. द्वितीय वरीयता—कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित संस्था/एन०जी०ओ०/सामाजिक संस्था में कार्य करने का 01 वर्ष का अनुभव। 3. तृतीय वरीयता—कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा किसी पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित संस्था/एन०जी०ओ०/सामाजिक संस्था में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव। कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान।	29,282.00
कम्प्यूटर ऑपरेटर	1. स्नातक एवं 01 वर्ष का 'ओ' स्तर का कम्प्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा। 2. डाटा एन्ट्री प्रोसेसिंग के कार्य का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव। 3. अंग्रेजी तथा हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान।	14,641.00

उक्त समन्वयक/कम्प्यूटर ऑपरेटर के नियत वेतन/मानदेय में वृद्धि हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित प्रबन्धकारिणी समिति, म०भो०प्रा०

की बैठक दिनांक 02.05.2022 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा अन्य विभागों में कार्यरत समरूपी कार्मिकों के निर्धारित मानदेय का आंकलन कर, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

उक्त क्रम में निदेशक, म0भो0प्रा0 के अनुमोदन दिनांक 02.06.2022 के क्रम में अनुरोध है कि यदि आपके अधीन उपरोक्त तालिका के समरूपी कार्मिक कार्यरत हैं, तो उनके प्रतिमाह नियत वेतन/मानदेय की धनराशि से प्राधिकरण को शीघ्रताशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।


भवदीय,


०१८(राकेश सिंह)
वित्त नियंत्रक

पू0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा/निदेशक, बेसिक शिक्षा/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद व साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0।
3. वैयक्तिक सहायक, निदेशक, म0भो0प्रा0 को निदेशक महोदया को अवलोकनार्थ।


०१८(राकेश सिंह)
वित्त नियंत्रक